समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निग-1250-पीबीआर-I-16 (86)

राजस्व अपील प्रकरण कमांक- /2015-16

(31)

पुनरीक्षणकर्ता : रेवाराम सार्वे पिता श्री रामचन्द्र सार्वे, उम्र लगभग 67 वर्ष, निवासी- ग्राम खरितायगांव, तह. सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

श्री एच. के. गौतम
द्वारा प्रस्तुत
आज 1 7 MAR 2016
अधीक्षक
राजस्व मंडल, जबलपुर संभाग

विरूद्ध

उत्तरार्थी : अमानउल्ला पिता फजलू रहमान, निवासी- ग्राम खरितायगांव, तह. सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा प्रकरण कमांक 21/अ-12/2008-09 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2010 से व्यथित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत करते है :-

COMMISSIONER OF OATHS FOR THE HIGH COURT
Smt. Manju Singh Parmar
16/3/16
JABALPUR

प्रकरण के तथ्य

1. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता ग्राम खरितायगांव, तह. सौंसर, जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) का स्थायी निवासी है ।

2. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता के नाम से मौजा खरितायगांव स्थित कृषि भूमि ख.नं. 189/1 रकवा 2.106 हे. की भूमि स्वामी होकर वैध अधिपत्यधारी है । पुनरीक्षणकर्ता इस खेत के पश्चिम दिशा की ओर उत्तरार्थी की जमीन ख.नं. 189/3 है । पुनरीक्षणकर्ता के पिता स्व. रामचन्द्र सार्वे ने अपनी भूमि ख. नं. 189 के पश्चिम दिशा की ओर की दो एकड़ भूमि मनोज बोरीकर को दिनांक 07.06.1976 को विकय की गई थी । उक्त विकय के समय ही पुनरीक्षणकर्ता के खेत एवं मनोज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1250–एक/2016 जिला–छिन्दबाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
25.4.16	यह निगरानी अपर कलेक्टर छिन्दबाडा द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/अ–12/08–09 में पारित आदेश दिनांक 06.05.2010 के विरूद्व म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत हुयी है। 2– अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उनकी ओर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। 3– आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि निगरानी कर्ता को कानून की जानकारी नहीं होने तथा धनाभाव के कारण प्रकरण में होने वाले व्यय की राशि की व्यवस्था करने में विलंब हुआ है जो क्षमा किया जाये। इसलिये आक्षेपित आदेश दिनांक 06.05.2010 सत्यप्रतिलिपि प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 16.07.2010 एवं नकल प्राप्त दिनांक 22.07.2010 तथा निगरानी प्रस्तुत किये जाने का दिनांक 17.03.2016 तक का लगा समय सद्भावना पर आधारित होने से क्षमा किये जाने का निवेदन किया। 4– आवेदक के अभिभाषक के तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्थिति यह है कि अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दबाडा ने प्रकरण में अंतिम आदेश	

दिनांक 06.05.2010 को प्राप्त किया है और आदेश की सत्यप्रतिलिपि हेतु आवेदन पत्र 16.07.2010 को प्रस्तुत किया गया है तथा प्रमाणित प्रतिलिपि दि. 22.07.2010 को प्राप्त हो गयी है, इसके बाद दिनांक 17.03.2016 को निगरानी प्रस्तुत की गयी है, दिनांक 22.07.2010 से दिनांक 17.03.2016 व्यतीत समय दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण नहीं दिया है एवं अनुचित विलंब के समय में आवेदक के अभिभाषक समुचित समाधान नहीं करा सके है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 1992 आर.एन. 289 में स्पष्ट किया है कि परिसीमा अधिनियम 1963 धारा 5 व्याप्ति अधिकारिता की प्रकृति–वैवेकिक है। पक्षकार बिलंब माफी के लिये अधिकार के रूप में हकदार नहीं है–पर्याप्त कारण का सबूत–अधिनियम की धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित वैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग करने के लिये पुरोभाव्य शर्त है–न्यायालय अपनी अंतनिर्हित शक्ति के अधीन अधिनियम अथवा विधि द्वारा विहित परिसीमा की कलावधि नहीं बड़ा सकता।

5– उपरोक्त कारणों से आदेश दिनांक 06.05.2010 के विरूद्व निगरानी दिनांक 17.03.2016 को अवधि प्रस्तुत होना पाये जाने से गुण दोष पर विचार किये बिना निरस्त की जाती है।

सदस्य